

फर्द अहकाम

यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- /20

श्री जोशी मयूर भाई बनाम चन्द्रकान्ता

| नांक आज्ञा I कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|----------------|
| 3.08.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी 1, 3, 4, 7, 8 की ओर से एडवोकेट जितेन्द्र कुमार गौतम हाजिर। अप्रार्थी संख्या संख्या 1, 3, 4, 7, 8 को जवाब हेतु अवसरों के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं। जवाब अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 7, 8 जवाब बन्द किया जाता है। शेष प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6, 9, 10 हाजिर नहीं हुई, अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">26 उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p> | |